न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/239

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

नवभारत दाल एवं ऑयल मिल भागीदार :–

1. रामदास जी आत्मज मीठालाल मीणा निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
2. शम्भूदयाल आत्मज सीताराम रावत निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. कन्हैया लाल आत्मज बिठ्ठलदास खण्डेलवाल निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन ।
4. राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल खरवाल महाजन निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
5. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राणावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कापरेन में आराजी खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में सिवायचक दर्ज है जबकि उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादीगण की खातेदारी में दर्ज थी । सेटलमेंट में उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया । सेटलमेंट विभाग को इन्द्राज बदलने या हेराफेरी करने का कोई अधिकार नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे दावा दायर करके अपने अधिकारों की विधिवत घोषणा करवाकर उक्त भूमि खसरा नम्बर 1255 को अपने खाते अंकित करवाए एवं प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण क्रम 1 व के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम कापरेन का वादीगण व

प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे व खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण क्रम 1व 2 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे तथा वादीगण को बेदखल करने की कोशिश न तो स्वयं करें और न अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 230 की रोड के सहारे की भूमि आबादी विस्तार के लिए नगरपालिका कापरेन को दिनांक 15.12.1983 को आवंटन हुई थी । खसरा नम्बर 230 की कुल भूमि में से नये नम्बर की आराजी खसरा नम्बर 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1255 की भूमि 2002 में नगरपालिका द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा करा दिया था । इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि की मालिक नगरपालिका थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी आबादी की भूमि है । नगरपालिका को आवंटित हुई थी । राजस्व न्यायालय को प्रस्तुत दावे को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी दावा वादी डिक्री कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो सीपीसी की पालना में आवश्यक है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है । कब्जे के अभाव में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादी हैं । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रिट याचिका लम्बित रहने के दौरान आवंटित की गई है जो शून्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादीगण को खातेदार घोषित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.05.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 05 तनकीयात कायम की थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 18 पर संलग्न हैं । परन्तु अपना निर्णय पारित करते समय किसी भी तनकी पर विवेचन किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकीयात पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा